संख्या-189/2015/1062आ.न.यो./9-8-15-4(1)आ.न.यो./2011

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 03 जून, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नागर स्थानीय निकायों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न स्थानीय नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाये जाने हेतु स्थानीय नागर निकायों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 05 नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आदर्श नगर योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि किसी भी दशा में उक्त दिनांक से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढायी जायेगी। सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में उनके नाम के सम्मुख अंकित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यो को पूर्ण कराकर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन/निदेशक, नगरीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत किये गये कार्यो में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी :-

क्र. सं	जनपद का नाम	निकाय का नाम	आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृत से सम्बन्धित शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूपये लाख में)	स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	आजमगढ	न.पं. कटघर लालगंज	24/29आ.नं.यो./9-8-14-1आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 28.01.2014 के क्रम में द्वितीय किश्त का शासनादेश-290/2372आ.न.यो./9-8-14-2आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 15.10.2014	45.00	30.06.2015
			63/162आ.न.यो./9-8-14-8आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 26.02.2014	20.00	30.06.2015
2	सोनभद्र	न.पा.प. सोनभद्र	770आ.न.यो./9-8-2013-14(01)आ.न.यो./2012 दिनांक 28.06.2013	50.00	30.06.2015

http://shasanadesh.up.nic.in

			770आ.न.यो./9-8-2013-14(01)आ.न.यो./2012 दिनांक 28.06.2013 के क्रम में द्वितीय किश्त का शासनादेश-84/368 आ.न.यो./9-8-14-2आ.न.यो.(बजट)/2013 दिनांक 20.3.2014	50.00	30.06.2015
3	बांदा	न.पं. बिसण्डा	293/2283आ.न.यो./9-8-14-27आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014	42.50	30.09.2015
4	मुजफ्फरनगर	न.पं. भोकरहेडी	170/2015/407आ.न.यो./9-8-2015-08आ.न.यो.(बजट)/15 दिनांक 19.3.2015	77.00	30.09.2015
5	देवरिया	न.पं. मझौलीराज	788आ.न.यो./9-8-2013-04(03)आ.न.यो./2013 दिनांक 04.07.2013	50.00	30.06.2015

2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-189/2015/1062(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in